बुन्देलखण्ड व पूर्वांचल में निवेश पर कई छूट

प्रोत्साहन

राज्य मुख्यालय | विशेष संवाददाता

75 प्रतिशत छूट मध्यांचल में, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में शत प्रतिशत

कोरोना संकट के बाद औद्योगिक इकाइयों को राज्य के पूर्वांचल, बुंदेलखंड़ और मध्यांचल के जिलों में निवेश के लिए जमीन की खरीद या पट्टे पर ली जाने वाली जमीन पर स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी।

इस बारे में शुक्रवार को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग से शासनादेश जारी किया गया। बुंदेलखंड व पूर्वांचल में यह छूट शत-प्रतिशत लागू होगी जबकि मध्यांचल में 75 फीसदी शुल्क लगेगा। विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी की ओर से जारी इस शासनादेश में कहा गया है कि पोस्ट कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश की नीति के तहत बुन्देलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में जमीन खरीदने या पट्टे पर जमीन लेने पर शत प्रतिशत और मध्यांचल क्षेत्र में 75 प्रतिशत तक स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी।